न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी:— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 164/2021 प्रार्थना पत्र

1. श्री उदयलाल पिता देवाजी मेघवाल निवासी भट्टकोटडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

— प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

— विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 रा0ले0रे0 एक्ट</u>

प्रार्थीगण की और से:— अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी उपस्थित

<u>आदेश</u>

दिनांक:— 16.2.22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भट्टकोटडी पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की खाता संख्या 236 आराजी नं. 908/782 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण को आवंटन का आदेश जारी किया गया उस आवंटन आदेश का नामान्तकरण मुझ प्रार्थी के नाम से खुला उस समय किसी प्रकार से कोई नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं किया गया है।जो नामन्तकरण आवंटन के समय खोला गया उसमें उक्त आराजी 782 रकबा 0.2300 है0 सम्पुर्ण में से दक्षिण दिशा की ओर वाला भाग आवंटन होकर मौके पर कब्जा भी दक्षिण भाग वाला है। इसलिए राजस्व नक्शा ट्रेस में जो सहवन से त्रुटि हो गई है उसको वास्तविक मौका स्थिति अनुसार सही दक्षिणा दिशा की ओर अंकित किया जाना न्यायोचित है। पुराने नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पुरानी जमाबन्दीयों की नकले प्रार्थना पत्र के साथ में पेश है। अतः प्रार्थी के मौके पर दक्षिणी दिशा की ओर कब्जा स्थित अनुसार ही सही एवं वास्तविक रेकार्ड में दर्ज फरमाये जाने का आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा एवं पटवारी को प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से आराजी नं.908/782 रकबा 0.13 है0 मूल साबिक आराजी न0 539 रकबा 0.18 बीस्वा में से श्री उदयलाल पिता देवा मेघवाल भट्टकोटडी गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड हुई नामान्तरण पर नक्शा ट्रेस संलग्न होकर इसमे दिशा अंकित नहीं है। ना0स0176 स्वीकृत दिनांक 06.07.2017 से खातेदारी के रूप में दर्ज हुई थी उक्त आराजी को वर्तमान राजस्व नक्शे में उतरी दिशा में तरमीम की गई है जबकि कन्हैयालाल पिता धनराज धाकड पडोसी खातेदार के द्वारा उक्त आवंटन नम्बर 908/782 रकबा 0.13है0 दक्षिण दिशा में बताया गया है एवं स्वयं खातेदार श्री उदयलाल पिता देवा मेघवाल निवासी भटकोटडी के द्वारा शपथ पत्र संलग्न कर अपना कब्जा दक्षिण दिशा की ओर बताया गया है जो कि मौके पर भी इस प्रकार काबिज है। इसलिए मौके पर काबिज अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में शुद्धि किया जाना प्रस्तावित सही पाया जाता है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान पुराने रिकार्ड का नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट के साथ भी कोई रेकार्ड आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मौके रिपोर्ट में मात्र प्रार्थी के शुद्धि करने का हवाला दिया गया है जो प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पुराने आराजी न0 539 रकबा 0.18 बीस्वा एव नवीन आराजी न0 908/782 रकबा 0.13है0 का मिलान नहीं होने एवं आवंटन अनुसार कब्जा नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 16.02.2022को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा